रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 636] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 27, 1993/कार्तिक 5, 1915
No. 636] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 27 1993/KARTIKA 5, 1915

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 1993

का. आ. 819(अ) – केन्द्रीय सरकार, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 3 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 3क की उपधारा (1) के अनुसरण में सहायक महानिदेशक (पी. एफ ए), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, नई दिल्ली को केन्द्रीय खाद्य मानक समिति का सचिव नियुक्त करती है।

अतः, केन्द्रीय सरकार, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के स्वास्थ्य और

परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 165(अ) तारीख 22 फरवरी, 1990 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में :

केन्द्रीय खाद्य मानक समिति के सचिव की नियुक्ति से संबंधित पैरा 2 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—

"2. केन्द्रीय सरकार, सहायक महानिदेशक (पी. एफ. ए.) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय नई दिल्ली को केन्द्रीय खाद्य मानक समिति का सचिव नियुक्त करती है।"

[सं. पी. 15016/7/92 – पी. एच. (खाद्य)]

बी. एस. लाम्बा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 1993

S.O. 819(E).—Whereas in pursuance of sub-section (1) of Section 3A read with Sub-section (1) of Section 3 of Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954), the Central Government hereby appoints the Assistant Director General (PFA), Director General of Health Services, New Delhi as the Secretary of the Central Committee for Food Standards;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare No. S.O. 165(E), dated the 22nd February 1990, namely :—

In the said notification;

For paragraph 2 relating to the appointment of Secretary, Central Committee for Food Standards, the following paragraph shall be substituted, namely :—

"2. The Central Government hereby appoints Assistant Director General (PFA), Directorate General of Health Services, New Delhi as the Secretary of the Central Committee for Food Standards."

[No. P. 15016/7/92-PH(FOOD)]

B. S. LAMBA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993